



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2013—वैशाख 4, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. डी-15-5-2003-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची को संशोधित करती है, जो उक्त धारा के परन्तुक द्वारा अपेक्षित के अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं:—

संशोधन

उक्त अनुसूची के भाग-छ: में शीर्ष "गन्ना" में क्रमांक-1 पर उल्लेखित शब्द "गन्ना" को विलोपित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. डी-15-5-2003-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 24 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 24th April 2013

No. D-15-5-2003-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by the provision to Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of the year 1973) the State Government hereby, amend the schedule of the said Act, the some having been previously published as required in proviso of the said Section:—

AMENDMENT

In the said schedule's Part-VI heading "Sugarcane" the word "Sugarcane" specified at serial number 01 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.